न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 60/2021

उनवान

(1) राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा - वादी

बनाम

1. अकबर मोहम्मद पुत्र अल्लाबक्ष मुसलमान नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2. ईद मोहम्मद पुत्र अल्लाबक्ष मुसलमान नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3. ईस्माइल पुत्र अमीरदीन मुसलमान नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4. कलसूम पुत्र अल्लाबक्ष मुसलमान नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5. नूर मोहम्मद पुत्र अल्लाबक्ष मुसलमान नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6. भूरी पुत्री अमीरदीन मुसलमान नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
7. भूरी पुत्री हफीजदीन मुसलमान नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
8. मोहम्मद हनीफ पुत्र अल्लाबक्ष मुसलमान नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
9. सुलेमान पुत्र माता जीना मुसलमान नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
10. हनीफ मोहम्मद पुत्र अलाबक्ष मुसलमान नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी गण

उपस्थित वकील प्रार्थी
(1) श्री पैरोकार सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

दिनांक 10.8.2021

आदेश

(1) वादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार आसीन्द द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 R.T.A.इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगणों के नाम ग्राम लाछूड़ा पटवार मण्डल लाछूड़ा में निम्न कृषि भूमि खातेदारी के रूप में दर्ज रेकार्ड है –

क्र.सं.	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1	43	1455	1.47	बीड़

(2) रिपोर्ट पटवारी एंव मौका पर्चा के अनु[illegible] खातेदारो द्वारा अपनी उक्त खातेदारी भूमि आ.नं.1455 रकबा 1.47 में से रकबा 0.20 हैक्टर भूमि पर कृषि कार्य नहीं [illegible] अवैध खनन कार्य किया जा रहा है।

[illegible] तथा [illegible]री नक्शे के अनुसार

(4) पटवार हल्का लाछूड़ा द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच रिपोर्ट [illegible] स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि खातेदारान द्वारा अपनी भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर खनन कार्य [illegible]

(5) रिपोर्ट पटवारी अनुसार उक्त भूमि पर खनन कार्य करने की कोई सक्षम स्वीकृति नहीं है।

(6) रिपोर्ट पटवारी / भू.अ.निरीक्षक के अनुसार उक्त भूमि में मौके पर फेल्सपार/ क्वार्ट्स का खनन होकर मौके पर खनन का मलवा पड़ा हुआ है तथा उपरोक्त सभी आराजियात माइनिंग लीज क्षैत्र में नहीं आती है।

(8) अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादी स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि को बिलानाम सरकार घोषित करने के आदेश प्रदान करें।

10/8/21

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:23:41 IST
Reason: SelfAttested

(9) प्रस्तुत वाद-पत्र बाद जांच पत्रावली संख्या 60/2021 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी-गणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। सम्मन बाद तामिल पुनः प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने तथा रूक-रूक कर आवाज लगवायी जाने पर वे उपस्थित न्यायालय नहीं होने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये जाते है।

(10) राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने पक्ष रखते हुये निवेदन किया कि उक्त खातेदारान उक्त कृषि भूमि पर खेती नहीं कर रहे है एंव बिना समक्ष अधिकारी की स्वीकृति के अवैध तरीके से खनन कार्य कर तथा खनन का मलवा डालकर कृषि भूमि के मूलभूत स्वरूप को नष्ट कर रहे है। अतः उक्त कृषि भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

(11) बहस पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड दस्तावेज / रिपोर्ट पटवारी / भू.अ.निरीक्षक /नजरी नक्शा का अध्ययन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार उक्त कृषि भूमि पर उक्त कृषकों द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जाकर अवैध तरीके से बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उक्त कृषि भूमि पर खनन कार्य करना एंव खनन का मलवा डालना प्रतीत होने से वाद पत्र स्वीकार योग्य होना न्यायालय उचित समझता है। अतः यह आदेश सुनाया जाता है कि –

आदेश

वादी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लाछूड़ा पटवार हल्का लाछूड़ा तहसील आसीन्द की जमाबन्दी संवत 2073-76 (वर्ष 2019 से स्थायी) की निम्न कृषि भूमि को कृषि भूमि से भिन्न उपयोग में लेने / बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के खनन कार्य कर उनके प्राकृतिक स्वरूप को खुर्द-बुर्द करने से बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है –

क्र.सं.	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	रकबा जो बिलानाम दर्ज किया जाना है	किस्म
1	43	1455	1.47	0.20	बीड़

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद किया जावें तथा उक्त भूमि को कब्जा सरकार ली जावें। **पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक** 10.8.21 **को खुली अदालत में सुनाया गया।**

10/8/21

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द ज़िला भीलवाड़ा

दिनांक 10.8.2021

क्रमांक / रीडर / 2021 / 57

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार अमल करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के इस न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10/8/21

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:23:41 IST
Reason: SelfAttested